न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

वाद संख्या 180/2022 उनवान नृसिंहप्रसाद बनाम जगदीश वगै0

19/10/2022 वकील वादी की और से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा सहमति दी जाने से पत्रावली पेशी से तलब होकर पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने निवेदन किया कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिकी की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा चुका है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जावें। वकील प्रतिवादीगण ने भी विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा फाईनल डिकी किये जाने पर सहमति दी। वकुलाय को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि पक्षकारान के मध्य मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बटवारा तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष सहमत है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा वादी अन्तिम रूप से डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2022/6037 दिनांक 10.10.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिकी का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्क्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)